

क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006

जयपुर, दिनांक : 26.02.2021

आदेश


विषय : माह मार्च देय अप्रैल, 2020 के आस्थगित (Deferred) वेतन का भुगतान बाबत।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2020, 02.04.2020 एवं 05.04.2020 द्वारा माह मार्च देय अप्रैल, 2020 के वेतन में से आंशिक राशि आस्थगित की गयी थी।

उक्त आदेशों के अनुक्रम में सेवानिवृत्त कार्मिकों के माह मार्च देय अप्रैल, 2020 के आस्थगित वेतन के भुगतान बाबत समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2020 (GFAR-15/2020) जारी किये जा चुके हैं, इसी क्रम में शेष बाबत यह निर्णय लिया गया है कि जिनका माह मार्च, 2020 में वेतन आस्थगित किया गया था उनका आस्थगित वेतन तुरन्त प्रभाव से भुगतान कराया जावे।

अतः माह मार्च, 2020 के उक्त आस्थगित वेतन का भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,



(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी। 13. समस्त कोषाधिकारी। 14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।
16. रक्षित पत्रावली।



रामेश चंद्र शर्मा